न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—13/2021 (2021/131) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रूकमणदेवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी कुमावतो का खेड़ा (बोराणा) तहसील रायपुर

प्रार्थीया

बनाम

1—जमीलाबानु पत्नि शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी बोराणा तहसील रायपुर
2—नुरजहां पत्नि मोहम्मद हनीफ रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—अलोलीदेवी पत्नि रामा कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—कमला पत्नि गोपीलाल कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—शंकरीदेवी पत्नि हमीर कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. रितेष सुराणा — प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—13.04.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3523 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 3524 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 3525 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीया की आराजियात चारो ओर से अन्य व्यक्तियो की कृषि आराजियात से गिरी हुई है जिसमें आवागमन का कोई सरकारी रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थीया अपनी आराजियात में वर्षो से आराजी संख्या 4489 सड़क से होते हुए मूल आराजी संख्या 3790 से आराजी संख्या 3527 से होकर सदैव संज, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर पैदल आदि सहित आवागमन कर अपनी कृषि आराजियात में काश्त कर लाभ लेती आ रही है। प्रार्थीया अपनी कृषि आराजियात में अवागमन करने हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 5251/3790 की पूर्वी पाली से होकर आगे विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 की आराजी संख्या 3527 की दक्षिणी पाली पर होकर के अपनी आराजियात तक आवागमन हेतु 13 फीट चोड़े रास्ते की आवश्यकता है। मौके पर प्रार्थीया के आवागमन करने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीया को विपक्षीगणो द्वारा आवागमन करने से रोक दिया गया जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 5251/3790 की पूर्वी पाली से होकर आगे आराजी संख्या 3527 की दक्षिणी व पश्चिमी पाली पर से होकर प्रार्थीया की आराजियात में 13 फीट चौड़े [illegible] नक्शे में गै.मु. रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे व प्रतिकर [illegible] कर विपक्षीगण को दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के [illegible] रजिस्टर किया [illegible] विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 [illegible] सूचना के उपिस्थत नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि प्रार्थी ग्राम बोराणा के खसरा नम्बर 3790 के दो टुकड़े हुए जिसमें से

खसरा नम्बर 5251 / 3790 रकबा 0.36 है0 मे से प्रार्थीया द्वारा रास्ता चाहा गया परन्तु उक्त खसरा नम्बर को प्रतिवादी खातेदारो द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संमपरिवर्तन करा दिया तथा मौके पर प्लाट के रूप में अलग अलग विभक्त कर दिया है तथा कुछ भाग पर पक्की दीवार बना देने रास्ता नही निकल सकता है। वर्तमान में भी इस खसरे में कोई रास्ता मौके पर नही होने से रास्ता का प्रस्ताव इस आराजी में नही बनाया जा सकता समपंरिवर्तन आदेश की प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थीया वर्तमान में खसरा नम्बर 3527 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे होकर खसरा नम्बर 3474 की दक्षिणी मेड़ के सहारे–सहारे होकर सड़क तक आवागमन करती है जहां से रास्ता नही चाहने से प्रस्ताव नही बनाया गया इसके अलावा अन्य और कोई रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा जहां से रास्ता चाहा गया है वो आराजी संख्या 5251 / 3790 है जो कृषि भूमि नही होकर आबादी सम्परिवर्तित भूमि है इसके अलावा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में आराजी संख्या 3474 की दक्षिणी पूर्वी पाली पर होकर आराजी संख्या 3527 में प्रवेश कर रहे है जिसमें आराजी संख्या 3474 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीया द्वारा आराजी संख्या 3527 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे आवागमन कर रही है जहां से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थीया आराजी संख्या 3527 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे आवागमन कर रही है एवं इसके साथआराजी संख्या 3774 की दक्षिणी पश्चिमी मेड़ पर होकर आवागमन कर रही है जिससे सम्बधित खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है। आराजी संख्या 5251 / 3790 से रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो कृषि भूमि न होकर संमपरिवर्तित आबादी भूमि है जिससे रास्ता दिया जाना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर है।

उपरोक्त विवरण से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थीया द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी संख्या 5251 / 3790 एवं 3527 में रास्ता चाहा गया है जिसमे आराजी संख्या 5251 / 3790 भूमि आबादी सम्परिवर्तित होने से रास्ता दिया जाना उचित नही है शेष आराजी संख्या 3527 में ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 3527 रकबा 1.10 है0 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे रकबा 0.0360 है0, यानि 360 वर्गमीटर भूमि बनती है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 405770 / –रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 14608 / –रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 29216 / –रूपये मुआवजा राशि बनती है जो कि विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested

13/04/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–13/2021 (2021/131) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–रूकमणदेवी पत्नि हीरालाल कुमावत निवासी कुमावतो का खेड़ा (बोराणा) तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1–जमीलाबानु पत्नि शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी बोराणा तहसील रायपुर

2–नुरजहां पत्नि मोहम्मद हनीफ रंगरेज निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3–अलोलीदेवी पत्नि रामा कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–कमला पत्नि गोपीलाल कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5–शंकरीदेवी पत्नि हमीर कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 3527 रकबा 1.10 है0 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे रकबा 0.0360 है0, यानि 360 वर्गमीटर भूमि बनती है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 405770/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 14608/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 29216/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जो कि विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

13/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:32 IST
Reason: SelfAttested